

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही राज.

क्रमांक: कोर्ट/2019/ 2526

दिनांक 26 -12 -2019

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 128/2019.....

तहसीलदार सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2659 दिनांक 6-12-19 के संलग्न ग्राम शेखरपडा
के प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने
के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भूराजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर तहसीलदार सिरौही को पुनःमूल
प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते है कि प्रस्तावानुसार अपक्षित राजस्व
रेकॉर्ड मे दुरुस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय
को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड सिरौही कारी)
सिरौही (राज.)

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार का.
बिरोही

विषय:- शेडाखेडा के खालसं. 97 खसरा नं. 5 में अमटाई का हिं. 1/4 दर्ज करने का कत

LR
1Am
15/12/19

रीडर
12/12/19

महोदयजी

उपरोक्त विषयान्वगत निवेदन है कि ग्राम शेडाखेडा के खसरा

1, 2, 3, 4 व 5 में खातेदार अमटाई पुत्र पृथ्वीराजसिंह राजपूत का हिं

पूर्व खाते अनुसार हफ्ल्याग वे पूर्व देवीसिंह अमटाई पि. पृथ्वीराजसिंह
रतनकुमार, सुरजकुमार पुत्री पृथ्वीराजसिंह के नाम के हिं दर्ज है जबकि

हफ्ल्याग अनुसार देवीसिंह, रतनकुमार व सुरजकुमार पि. पृथ्वीराजसिंह की
जगह अमटाई पि. पृथ्वीराजसिंह के नाम के हिं दर्ज हुआ जबकि शेडाखेडा

में अमटाई पि. पृथ्वीराजसिंह के व देवीसिंह पि. पृथ्वीराजसिंह के हिं दर्ज हो
खालसं. 35 में देवीसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह हिं के एकक के

गलत है अतः खाते में अमटाई अमटाई पि. पृथ्वीराजसिंह हिं के लकी छिया
जाने की शुद्धि आदेश प्रभावित खाता सं. 12 अनुसार खाता सं. 97 में अमटाई
का हिंसा शुद्धि छिया जाने का आदेश प्रभावित

खालसं. 35 अफल-गमावेदी खाता सं. 12, 97

② हफ्ल्याग की पेंसीकृत प्रतिलिपि

③ पुराना खालसं. 12 की नकल

12/12/19
प. वि. वि.

राजस्थान - सरकार का
कार्यालय तहसीलदार (भू. अं.) बिरोही

क्रमांक / भू. अं. / 2019 / 2659

दिनांक 6/12/19

मूल ही श्रीमान उपलब्ध अधिकारी महोदय, बिरोही को
पेश कर निवेदन है कि पत्तारी हफ्ल्याग की रिकॉर्ड अनुसार खसरा
रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड अवलोकनानुसार - प्रौढ
शेडाखेडा (पं. अं. - सिलदर) की सेरीजेशन के दौरान खसरा सं. 97 में
- नवी सन्त 2071-2074 जमाबंदी 2075 के लपानी खाता सं. नं. 97 में
अमरसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह राजपूत का हिंसा 1/8 के स्थान पर
शुद्ध हिंसा 1/4 दर्ज होना चाहिए था। साथ ही खाते में अं. 9
9 पर अंकित देवीसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह का इद्दाग खाते में से
प्रतिलिपित होना चाहिए। अतः वार्ड अवरुद्ध संशोधन हेतु

1694

